



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर—थानों रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर के सामने
देहरादून—248008

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in

E- mail: chayanavog@gmail.com

विज्ञापन संख्या: 66/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक: 08 नवम्बर, 2024

चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' सीधी भर्ती के माध्यम से जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक अध्यापक (प्राईमरी) तथा सहायक अध्यापक (एल0टी0) कम्प्यूटर शिक्षा के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	08 नवम्बर, 2024
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	14 नवम्बर, 2024
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	10 दिसम्बर, 2024
लिखित परीक्षा की अनन्तिम तिथि	23 फरवरी, 2025

02. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' सीधी भर्ती के माध्यम से जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक अध्यापक (प्राईमरी) के 15 रिक्त पदों तथा सहायक अध्यापक (एल0टी0) कम्प्यूटर शिक्षा के 12 रिक्त पदों अर्थात् कुल 27 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 10.12.2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

03. अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online mode में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अनन्तिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दिये गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. से ही मिलेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का सही Phone/Mobile Number व E-Mail भरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in को समय-समय पर देखते रहें।

04. पदों का विवरण:— उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अध्याचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्याचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/नियमों/शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:—

A- पदनाम—

सहायक अध्यापक (प्राईमरी)

पदकोड— 455/479/66/2024

कुल पद—15

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं०से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सहायक अध्यापक (प्राईमरी) (जनजाति कल्याण विभाग)	अ०जा०	02	—	—	01	—	—	—	01 (OL, OA, Mw, PB)
		अ०ज०जा०	01	01			—	—	—	
		अ०पि०व०	02	01			—	—	—	
		आ०क०व०	02	02			—	—	—	
		अना०	08	02			01	01	01	
		योग	15	06	—	01	01	01	01	01

नोट— उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित हेतु प्रदत्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या —WP-PIL 152/24 भुवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अधीन रहेगा।

(ii) वेतनमान:— रू० 35,400—रू० 1,12,400(लेवल-06)

(iii) आयु सीमा:— 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय प्रारम्भिक शिक्षाशास्त्र में डिप्लोमा/डी०एल०एड०/बी०टी०सी०।

अथवा

इण्टरमीडिएट एवं 04 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षाशास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०) की उपाधि

अथवा

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं शिक्षाशास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)।

2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों व अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा सहायक अध्यापक (प्राईमरी) हेतु यू0टी0ई0टी0-01 /सी0टी0ई0टी0-01 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

3. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य हैं।

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने :-

(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

B- पदनाम-

सहायक अध्यापक (एल0टी0) कम्प्यूटर शिक्षा

पदकोड- 455 / 478 / 66 / 2024

कुल पद-12

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

क्र0 सं0	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड महिला	स्व0सं0से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सहायक अध्यापक (एल0टी0) कम्प्यूटर शिक्षा जनजाति कल्याण विभाग	अ0जा0	02	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—			—	—	—	
		अ0पि0व0	02	02			—	—	—	
		आ0क0व0	01	01			—	—	—	
		अना0	07	01			—	—	01	
		योग	12	04	—	—	—	—	01	—

नोट- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित हेतु प्रदत्त आरक्षण मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या -WP-PIL 152/24 भुवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अधीन रहेगा।

(ii) वेतनमान:- रू0 44,900-रू0 1,42,400(लेवल-07)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा बी0सी0ए0 उपाधि।

2. किसी राजकीय संस्थान या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।

अथवा

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में बी०टैक/बी०ई० उपाधि।

3. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा सहायक अध्यापक (एल०टी०) पद पर नियुक्ति हेतु यू०टी०ई०टी०-०२/सी०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
4. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य हैं।

(b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने :—

- (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

5. . लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया—

(i) उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 घण्टे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु **परिशिष्ट-01** का अवलोकन करें। सामान्य व ओ०बी०सी० श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।

(ii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(iii) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) तीन प्रतियों (ट्रिप्लीकेट) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है, तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(v) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।

(vii) ओ०एम०आर० शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/कटिंग आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(viii) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओ०एम०आर० शीट में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ०एम०आर० शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(ix) ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न-पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये मॉनीटर/कम्प्यूटर/टैब पर ही प्राप्त होंगे।

06. अधिमान:- लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा (आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी पहले तथा कनिष्ठ अभ्यर्थी बाद में आएगा), आयु के भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा तथा अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

07. आयु:-

उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2024 है।

(क)-परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह-‘ग’ के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

08. आवेदन हेतु पात्रता:-

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है:-

(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र धारक हो।

(ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह “ग” के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(घ) शासन के पत्रांक—1097/XXX(2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार “जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।” उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं, सम्मिलित हैं।”

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि, वह इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु अर्ह माना जाएगा।

(ङ) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार “जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।”

09. राष्ट्रीयता:—

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में उपरोक्तानुसार पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

10. चरित्र:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।

11. वैवाहिक प्रास्थिति:-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

12. शारीरिक स्वस्थता:-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

शासनादेश संख्या: 374(1)XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 02 नवंबर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में परिशिष्ट 2(च) में संलग्न है।

13. आरक्षण:-

- i. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।
- ii. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04%, अनाथ बच्चों हेतु 05%, कुशल खिलाड़ी के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक है, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- iv. शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य होनी चाहिए।

- v. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vi. “भूतपूर्व सैनिक” से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सकीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टैरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vii. भारत सरकार की कार्यालय ज्ञाप संख्या— 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो पहले से ही राज्य सरकार की समूह ‘ग’ और ‘घ’ की सेवा में कार्यरत है, वह राज्य सरकार के अधीन समूह ‘ग’ और ‘घ’ में उच्चतर श्रेणी या संवर्ग में किसी अन्य सेवायोजन को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिक हेतु यथाविहित आयु शिथिलता का लाभ प्राप्त कर सकेगा, यद्यपि ऐसा अभ्यर्थी राज्य सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक हेतु आरक्षण के लाभ के लिए अर्ह नहीं होगा।
- viii. भारत सरकार के अधिसूचना संख्या(Notification N0). 36034/5/85-Estt.(SCT) दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 के अनुसार उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व किन्तु 01 वर्ष के अन्तर्गत आवेदन करने की दशा में उन्हें भूतपूर्व सैनिक हेतु निर्धारित आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।
- ix. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।
- x. “स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित” से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से अभिप्रेत है।
- xi. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:—244/xxxvi(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा राज्य की राज्यधीन सेवाओं में चयन के

समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।

- xii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-117/xxxvi(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा 'कुशल खिलाड़ी' से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में हैं, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं हैं, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा.प्र./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगा:-

क्र० स०	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
5	राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलों इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल-5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

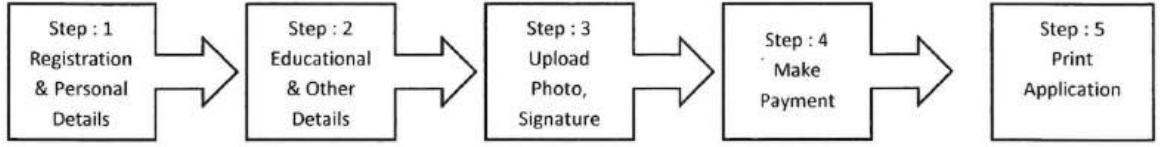
परन्तु यह कि राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रणीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(xiv) कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी तथा समान श्रेणी की वरीयता के क्रम से तात्पर्य अपनी श्रेणी से है।

(xv) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा तथा आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

नोट:- अभ्यर्थी पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-1 तथा आरक्षण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिशिष्ट-2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ), 2(च) तथा दिव्यांगता की श्रेणियों से संबंधित प्रयुक्त संक्षिप्तियों के विवरण हेतु 2(छ) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी उक्त परिशिष्टों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार ही अपने प्रमाण-पत्र तैयार करवायें।

14. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के चरण



- i. अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ई-मेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है।
- ii. अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई-मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द समझा जायेगा एवं यू0के0एस0एस0एस0सी0 द्वारा भविष्य में करायी जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।
- iii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझा जाएगा।
- iv. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग-इन के लिए आवश्यक है।
- v. अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ का आयाम (150w×200H px) और हस्ताक्षर का आयाम (150w×100H px) को जे0पी0जी0/जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में अपलोड करना होगा।
- vi. आवेदन-पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नैट बैंकिंग/यू0पी0आई0 से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
- vii. तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें chayanayog@gmail.com पर ई-मेल करें।
- viii. अपरिहार्य कारणों से यदि एक उम्मीदवार द्वारा एक ही या ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक से अधिक सबमिट किए गए आवेदन भरें जाते हैं, तो उसके द्वारा भरा गया अन्तिम आवेदन मान्य होगा।
- ix. यदि अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी का कटा हुआ शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जायेगा।
- x. अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Status वाले कॉलम में Completed प्रिन्ट न लिखा हो।
- xi. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ समझा जाएगा।
- xii. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।
- xiii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

15. शुल्क:-

अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क (रु०)
01	अनारक्षित (Unreserved) / उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	300.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC) / उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	150.00
03	उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)	150.00
04	अनाथ (ORPHAN)	00.00

17. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:-

(1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थी ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या:-79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532/2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अन्तिम तिथि तक संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

(3) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग (FIR) भी दर्ज कराया जाएगा।

(4) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका

अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(5) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(7) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(8) आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(9) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।

(10) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(11) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई-मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें ताकि आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारीयां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(12) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(13) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।

(14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित प्रतिबन्धित सामग्री न

लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

(15) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(16) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 अधिनियमित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैल्कुलेटर, पेजर, चिप, कम्प्यूटर को प्रभावित करने का कोई उपकरण) इत्यादि उपकरण ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा। उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वाले पर उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाए

(17) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए—

अ0जा0	—	अनुसूचित जाति
अ0ज0जा0	—	अनुसूचित जनजाति
अ0पि0व0	—	अन्य पिछड़ा वर्ग
अ0क0व0	—	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
अना0	—	अनारक्षित


(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

Syllabus for Post of Assistant Teacher (Primary)

Unit-1

Child development: growth and development of child-- physical, social and emotional; Piaget's theory of cognitive development; Socio-Cultural Development Theory of Vygotsky; Moral development theory of Kohlberg; Personality development- Concept, meaning, types and assessment; Psycho-social development theories-- Freud, Erickson; Learning- concept, meaning, factors affecting learning; learning theories of Pavlov, Skinner, Thorndike, Bandura, Rogers and educational implications; Experiential learning; Social learning; Learning domains-- cognitive, affective and psychomotor; Motivation-- meaning, factors affecting motivation, theories; Memory and Forgetting-- meaning, concept, factors and types; Thinking and Problem solving-- concept, meaning, process and types (concrete, abstract, logical, inductive, deductive, creative, reflective); Child as a problem solver; Attention-- concept, types, role of teacher with reference to child attention in teaching-learning process; Language and Communication-- language development amongst children with reference to their developmental stages; Factors affecting language development; Role of teacher in language development skills; Bilingual and trilingual speaking child-- implications for teachers in the context of multilingual classrooms.

Unit-2

Concept of education, Teaching, Schooling, Instructions Indoctrination; Public vs. Private education; Democratic and secular education; Indian knowledge system; Social context of education; Interrelationship between education and society; Role of teacher as a social reformer; Educational provisions in Indian constitution; Concept of Disability, Impairment, and Handicap; Indian and global context of special, integrated, and inclusive education; Addressing classroom diversity and inequality with regard to pedagogy and curriculum; Provisions in National Education Policy (NEP)-2020 for education of diverse groups; Education of children with disabilities vis-a-vis the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act- 2016; Education of children with special needs belonging to different social groups viz. SCs, STs, OBCs, minority, nomadic, labourer, broken homes, single parent, and other disadvantaged groups; Gender as a social construct, gender roles, gender bias and educational practices; Educational provisions and practices for gifted, creative, slow learner, and learning disabled; Pedagogical and other classroom interventions for culturally, socially and linguistically diverse children of Uttarakhand including girls and transgender.

Unit-3

Educational philosophies- Pragmatism, Idealism, Existentialism, Naturalism, and Realism; Educational thinkers-- Gandhi, Tagore, Aurobindo, Vivekananda; Krishnamurthy, Gijju Bhai, Savitri Bai Phule, Montessori, Froebel and Rousseau; Socialisation-- concept and process; Role of family, school and community in context of socialisation of child; Primary education-- concept, need, importance and challenges; Historical development of primary education system

[Signature]

[Signature]

In India vis-a-vis its present status: Gurukul system, Macaulay Minutes, Woods Dispatch, Wardha Scheme, Kothari Commission, National Policy on Education (NPE)-1986, Education without Burden (Yashpal Committee), District Primary Education Programme (DPEP), Persons with Disabilities Act (PWD)-1995, Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Right to Education (RTE) Act -2009, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), Samagra Shiksha, National Education Policy (NEP)-2020, NISTHA; Types of schools--objectives and functions of Ashram schools, Eklavya Model Residential Schools, PM SHRI Schools, Kendriya Vidyalayas, Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas, Sainik Schools, Army Schools, Navodaya Vidyalayas etc.; Role of Apex/Regulatory bodies in facilitating education: National Council for Teacher Education (NCTE), Rehabilitation Council of India (RCI), National Council of Educational Research and Training (NCERT), State Council of Educational Research and Training (SCERT), District Institutes of Education and Training (DIETs), National Institute of Open Schooling (NIOS), Central Board of Secondary Education (CBSE); Academic leadership, Teaching ethics, Teacher absenteeism; Issues related to access, equity and quality in primary education.

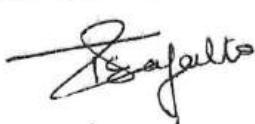
Unit-4

Educational technology and its types (hardware, software, and system analysis); Phases of teaching; Levels of teaching; Teaching plan and its steps; Models of teaching; Teaching skills; Micro-teaching; Collaborative teaching; DISKHA, PRAGYATA-- guidelines for digital education; Gyan Darshan; EDUSAT-- policy and practices; Preparation and use of-- PPT, MOOCs, e-content, e-assignment, Open Education Resources (OERs), Use of web 2.0 tools for learners, e-mail, Teleconferencing, e-library, podcasts and blogs; Classroom audio-visual aids-- meaning, types and importance; Time table--types and importance; Methods of teaching-- lecture, demonstration, discussion, story-telling, source method, experiential learning method, localized method of teaching; Action research-- meaning, steps, and importance.

Unit-V

Curriculum--concept and meaning; National Curriculum Framework (NCF)-2005, National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE)-2009; Principles of curriculum development; Role of teacher in maintaining child friendly environment inside and outside the classroom; Pedagogical approaches in the context of curriculum transaction-- theme based, play based, activity based; Project/inquiry-based approach; Yoga and Fit India Movement; Drama and Art in education.

Policy, perspectives and practices in school based assessment; Teacher made test; Standardized test, objective test, subjective test, Continuous and Comprehensive Evaluation; 360 degree assessment (HPC); Differentiated curriculum for learners with special needs; Purpose and challenges in implementation of innovative teaching and learning activities in Uttarakhand viz. celebration of pratibha divas, bag less day, doubt clearing day, Anandam, Mission Koshish, Nipun Bharat Mission etc.




Guidance and Counselling at primary stage-- meaning, types, importance; Data/information collecting techniques-questionnaire, interview, observation, check list, observation, rating scale.

Unit-6

उत्तराखण्ड का भौगोलिक परिचय: स्थिति एवं विस्तार, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीले, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या

उत्तराखण्ड का इतिहास :- ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के उपरान्त प्रमुख राजवंश यथा- कत्यूरी शासन काल, चन्द्र शासन, गोरखा, पवार एवं ब्रिटिश शासन इत्यादि, स्वतन्त्रता संग्राम में उत्तराखण्ड की भूमिका, प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी एवं विभूतियाँ, उत्तराखण्ड के विविध आन्दोलन यथा कुली बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पालकी, स्वतन्त्रता के उपरान्त के आन्दोलन चिपको, नशा नहीं रोजगार दो एवं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के विविध पक्ष, पृथक उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन एवं अद्यतन राजनैतिक घटनाक्रम

उत्तराखण्ड जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परम्परागत जल स्रोत यथा नौला, धारा, पोखर, चाल-खाल, गाड़-गधेरा; सिंचाई के परम्परागत साधन यथा गूल, नहर, नलकूप, हैण्डपम्प एवं विविध सिंचाई योजनाएँ, हुनदी घाटी परियोजनाएँ; उत्तराखण्ड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्याएँ।

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था :- कृषि, प्रमुख फसलें, व्यावसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्याएँ, उद्योग, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि, लघु व कुटीर उद्योगों की वर्तमान दशा यथा ऊन, काष्ठ, लौह, ताम्र उद्योग इत्यादि, उत्तराखण्ड में विभिन्न उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की वर्तमान दशाएँ, रोजगार की प्रवृत्तियाँ, पलायन का संकट

उत्तराखण्ड का सांस्कृतिक पक्ष :- परंपरा, रहन-सहन, भाषा-बोली, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक कला, लोक संगीत।

उत्तराखण्ड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनकिकी, उत्तराखण्ड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बन्दोबस्त, लगान एवं रैतवाड़ी, राजस्व पुलिस व्यवस्था

उत्तराखण्ड में शिक्षा: सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा की दशाएँ एवं तत्सम्बन्धित समस्याएँ।

उत्तराखण्ड में पर्यटन :- धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएँ यथा चार धाम यात्रा, नन्दा राजजात, आध्यात्मिक यात्राएँ इत्यादि, प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, सांस्कृतिक पर्यटन यथा पर्वतारोहण, राफ्टिंग, ट्रेकिंग इत्यादि, रेल, वायु तथा सड़क परिवहन एवं तत्सम्बन्धित समस्याएँ।

उत्तराखण्ड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दशाएँ, जल एवं वायु प्रदूषण, बाढ़न फटना, निर्वनीकरण, वनारिन, बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएँ एवं पारिस्थितिकीय दशाएँ।

राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था व महत्वपूर्ण योजनाएँ/पहलें।

राज्य द्वारा जारी संख्यिकीय आकड़े तथा उससे संबंधित विषय।

उत्तराखण्ड में जैव विविधता।

अन्य विविध विषय।

Signature

Signature

भाग-2(च)-राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ

विश्व के देश, महाद्वीपए प्रमुख अंतरिक्ष घटनाक्रम विश्व के धर्म, विश्व के आश्चर्य, भारताय राज्य, भारत/विश्व की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, कम्प्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियां, प्रमुख दररे, प्रमुख सागर-महासागर, विश्व के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषायें, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य, प्रमुख खेल एवं सम्बन्धित शब्दावली, सम्मेलन/प्रदर्शनी/कान्फ्रेंस, प्रमुख रिपोर्ट और राजनीतिक घटनाक्रम।




Syllabus for the post of Assistant Teacher (Computer Education)

Unit - I

Fundamentals of Computer

Characteristics of Computers, Input, Output, Storage Units, CPU and its organization; **Number Systems:** Decimal, Binary, Octal and Hexadecimal and their conversion, ASCII Code, Unicode; **Memory Units:** RAM, ROM, Cache; Secondary storage devices: hard disks, CD-ROM, DVD, Optical devices, USB, Flash drives; Input and Output devices; **Software and its types:** System software, Application software and Utility software.

Unit - II

Operating System

History of Operating System and types of Operating Systems; Batch systems, Multiprogramming, Multitasking, Time sharing systems, Parallel systems, Distributed system and Real time system; **Functions of Operating System:** Memory management, Scheduling, Resource management; **Common Operating systems:** Introduction to MS-DOS and its basic commands; Windows: Overview of different versions, Basic Windows elements, File management through Windows.

Unit- III

Office Automation Tools

Word Processing: Basic concepts, Saving, closing, opening an existing document; Selecting text, Editing text, Finding and replacing text; Printing documents, Creating and printing merged documents; Character and paragraph formatting, Page design and layout. **Editing and profiling tools:** Checking and correcting spellings, Handling graphics, Creating tables and charts, Document templates and Wizards.

Spreadsheet Packages: Basic concepts, creating, saving, and editing a workbook; Inserting and deleting worksheets; Entering data in a cell/formula, Copying and moving from selected cells, Functions: Basic mathematical function, Date and time functions; Formatting a worksheet: Formatting cells, creating charts and graphs. **Presentation Packages:** Creating, opening and saving presentation; Working in different views; Adding and formatting text, Making notes page and handouts, Drawing and working with objects, Adding Clipart and other pictures, Designing slideshows, Running and controlling a slideshow, Printing presentation.

Unit- IV

Programming in 'C' and Data Structures

Introduction to Programming: Types of Programming Languages; Problem solving tools: Algorithms and Flowcharts; Language Translators: Assembler, Interpreter, and Compiler, Process of Linking and Loading; Testing and debugging a program; **Introduction to 'C':** Keywords, Variables, Constants, Literals, Identifiers, Built-in and User-defined data types, Operators and expression, Types of operators, Basic Input-Output statements, Conditional statements: if, if-else and switch statements, Loop: do-while, for, while loop; Functions: Definition and its types, Function prototype, Formal and actual parameter, Return type; Function call: call by value and Call by reference.

Array: Arrays and types, One-dimensional and two-dimensional arrays, Creation and operations on arrays.

Stack: Array and Linked implementation of Stack, Operations on Stack (Push, Pop and Traversal), Infix to postfix conversion and evaluation of postfix expression.

Queue: Array and Linked implementation of Queue, Operations on Queue (Traversal, Insertion and Deletion).

Unit- V

Database Management System

Database Concepts: Relational Data Model, Concept of domain, Tuple, Relation, Keys: Super key, Candidate key, Primary key, foreign key and alternate key. Relational Algebra: Selection, Projection, Union, Cartesian product and Joins. **Structured Query Language:** Concepts, Advantages of using SQL, Data types: Number,

Character, Date; Data Definition Language: Create, Alter, Drop and Truncate commands; Data Manipulation Language: Insert, Select, Update and Delete commands.
SQL Functions: Single row functions and group functions;
Basic knowledge of MSAccess.

Note: Implementation of the above mentioned commands could be done on any SQL supported software on one or more table.

Unit - VI

Communications and Internet Technologies

Networking Concepts: Fundamental of Network, Types of network: LAN, MAN, WAN; Network Topologies; Transmission media and modes of communication; Networking Devices: Modem, Hub, Switches, Bridge, Router, and gateway, Communication Protocols, TCP/IP protocol suite, IP addressing, MAC address and subnetting; Network security concepts: Threats and prevention from Viruses, Worms, Trojan Horses and Spam; Use of cookies, Protection using firewall, India IT Act 2000, Cyber Law and Cyber Crime.

Internet Concepts: Introduction to Internet, Growth of Internet, Anatomy of Internet, Basic Internet terminologies, Netiquette; Internet Applications: Email, WWW, Telnet, FTP, Search Engines; E-Commerce, Governance on Internet; Impact of Internet on society.

Unit - VII

Web Technologies

HTML : History of HTML, HTML document structure, HTML Tags and types, Container and non-container tags, Formatting tags; List in HTML: ordered and unordered, Description list, Images in HTML, Tables in HTML, Links in HTML; Forms and control : Text box, Radio button, Check box, list box, Submit and reset, HTML 5 tags.

Unit - VIII

Emerging Technologies

Fundamentals of Artificial Intelligence, Application and role of AI in different domain; Fundamentals of Cloud Computing, Features of Cloud and its application; Introduction to Data Science and its applications, Basic concepts of Internet of Things (IoT).

Signature

Signature

Unit - 9

1. उत्तराखण्ड का भौगोलिक परिचय: स्थिति एवं विस्तार, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीले, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या
2. उत्तराखण्ड का इतिहास — ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के उपरान्त प्रमुख राजवंश यथा— कत्युरी शासन काल, चन्द्र शासन, गोरखा, पन्ना एवं ब्रिटिश शासन इत्यादि, स्वतन्त्रता संग्राम में उत्तराखण्ड की भूमिका, प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी एवं विभूतियाँ, उत्तराखण्ड के विविध आन्दोलन यथा कुली बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पालकी, स्वतन्त्रता के उपरान्त के आन्दोलन त्रिपको, नशा नहीं रोजगार दो एवं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के विविध पक्ष, पृथक उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन एवं अद्यतन राजनैतिक घटनाक्रम
3. उत्तराखण्ड जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परम्परागत जल स्रोत यथा नौला, धारा, पोखर, चाल-खाल, गाड़-गधेरा; सिंचाई के परम्परागत साधन यथा गूल, नहर, नजकूप, हैण्डपम्प एवं विविध सिंचाई योजनाएँ, नदी घाटी परियोजनाएँ, उत्तराखण्ड में वर्षा आधारीत कृषि की वर्तमान समस्याएँ।
4. उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था — कृषि, प्रमुख फसले, व्यावसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्याएँ, उद्योग, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि, लघु व कूटीर उद्योगों की वर्तमान दशा यथा ऊन, काष्ठ, लौह, ताम्र उद्योग इत्यादि, उत्तराखण्ड में विभिन्न उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की वर्तमान दशाएँ, रोजगार की प्रवृत्तियाँ, प्रवाहन का संकट
5. उत्तराखण्ड का सांस्कृतिक पक्ष — परम्परा, रस्ते-सहन, भाषा-बोली, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक कला, लोक संगीत।
6. उत्तराखण्ड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनकिकी, उत्तराखण्ड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बन्दोबस्त, लगान एवं रेतवाड़ी, राजस्व पुलिस व्यवस्था
7. उत्तराखण्ड में शिक्षा: सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा की दशाएँ एवं तत्सम्बन्धित समस्याएँ।
8. उत्तराखण्ड में पर्यटन — धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएँ यथा चार धाम यात्रा, नन्दा राजजात, आध्यात्मिक यात्राएँ इत्यादि, प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, सांस्कृतिक पर्यटन यथा पर्वतारोहण, राफ्टिंग, ट्रेकिंग इत्यादि, रेल, वायु तथा सड़क परिवहन एवं तत्सम्बन्धित समस्याएँ।
9. उत्तराखण्ड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दशाएँ, जल एवं वायु प्रदूषण, बाढ़ फटना, निर्धनीकरण, वनारिण, बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएँ एवं पारिस्थितिकीय दशाएँ।
10. राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था व महत्वपूर्ण योजनाएँ/पहुँचें।
11. राज्य द्वारा जारी संस्थिकीय आकड़े तथा उससे संबंधित विषय।
12. उत्तराखण्ड में जैव विविधता।
13. अन्य विविध विषय।

Regent

Regent

-राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ

विश्व के देश, महाद्वीप प्रमुख अंतरिक्ष घटनाक्रम विश्व के धर्म, विश्व के आश्चर्य, भारतय राज्य, भारत/विश्व की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, कम्प्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियां, प्रमुख दररे, प्रमुख सागर-महासागर, विश्व के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषाएँ, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिसर, प्रमुख खेल एवं सम्बन्धित शब्दावली, सम्मेलन/प्रदर्शनी/कान्फ्रेंस, प्रमुख रिपोर्ट और राजनीतिक घटनाक्रम।




UNIT (I)

1. Philosophical and sociological basis of Education:- Relationship between Education and Philosophy, Relationship between Education and Society.
2. Educational Philosophies: Idealism, Naturalism, Pragmatism.
3. Psychological Basis of Education: Concept of Educational Psychology, Growth and Development, Theories of Learning. Thorndike, Skinner, Pavlov and Kohlberg.
4. Educational Technology: Meaning, Nature and type of Educational Technology, Teaching and Learning, Levels, Phases, Maxims and Principles of Teaching; Measurement and Evaluation
5. Educational Administration and Management: Concept and Purpose, Supervision and Inspection, Guidance and counselling.

UNIT (II)

1. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार: शिक्षा एवं दर्शन का संबंध, शिक्षा एवं समाज का संबंध
2. शैक्षिक दर्शन :- आदर्शवाद, प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद
3. शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार:- शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रत्यय, वृद्धि एवं विकास अधिगम के सिद्धान्त - थार्नडाइक, स्कीनर, पॉवलोव एवं कोहलबर्ग
4. शैक्षिक तकनीकी: शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार, शिक्षण एवं अधिगम, शिक्षण के स्तर, अवस्थाएं, सूत्र एवं सिद्धांत, मापन एवं मूल्यांकन
5. शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन : प्रत्यय एवं उद्देश्य, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, निर्देशन एवं परामर्श

Signature

Signature

परिशिष्ट-2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तराखण्ड की..... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति)
आदेश 1950(जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश
1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार
उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....
..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ख)

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

.....उत्तराखण्ड के राज्य की.....पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति

उ0प्र0 लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त

है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 में अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी.

दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार

उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....

..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ग)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मोहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख(रुपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार
निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत
सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में
सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट साइज का
प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

परिशिष्ट-2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या-4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित).....

.....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) उपयुक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी.....

परिशिष्ट-2(च)
निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या:-.....

तारीख.....

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....पहचान चिह्न.....

.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक(लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात(फॉलिज)

- i. दोनों टांगे(बी. एल.) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- ii. दोनों बांहें(बी. ए.) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
- iii. दोनों टांगे और बांहें (बी.एल. ए.) – दोनों टांगे और दोनों बांहें प्रभावित
- iv. एक टांग(ओ.एल.) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- v. एक बांह (ओ.ए.) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- vi. पीठ और नितम्ब (बी.एच.) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन(बैठ और झुक नहीं सकते)
- vii. कमजोर मांस पेशियां (एम.डब्लू.) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि -

- i. बी. - अंधता
- ii. पी. बी. - आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- i. डी. - बधिर
- ii. पी. डी. - आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती-.....वर्षों.....महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.....है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|--|----------|
| i. एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| ii. पी.पी.- धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| iii. एल- उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| iv. के.सी.- घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| v. बी- झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| vi. एस- बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| vii. एस.टी.- खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| viii. डब्लू- चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| ix. एस.ई.- देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| x. एच- सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| xi. आर.डब्लू.- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-2(छ)

दिव्यांगता की श्रेणियों से संबंधित प्रयुक्त संक्षिप्तियों का विवरण

Description Of Abbreviations Used Related To DIVYANG Categories

वर्गीकरण से सम्बन्धित प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ

S.NO.	CATEGORY CODE		ABBREVIATION USED	
	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी
1	B.	बी०	Blind	दृष्टिहीनता
2	L.V/P.B.	एल०वी० / पी०बी०	Low Vision/Partially Blind	कमदृष्टि / आंशिक दृष्टि
3	D.	डी०	Deaf	बधिर
4	H.H/P.D.	एच०एच० / पी०डी०	Hard of Hearing/Partially Deaf	श्रवण शक्ति में हास / आंशिक बधिर
5	O.A.	ओ०ए०	One Arm Affected (1) Impaired reach (2) Weakness of grip (3) Ataxia	एक हाथ प्रभावित (1) हासित (2) पकड़ने में असमर्थ (3) स्नायु दुर्बलता
6	O.L.	ओ०एल०	One Leg Affected	एक पैर प्रभावित
7	B.A.	बी०ए०	Both Arm Affected (1) Impaired (2) Weakness of grip	दोनों हाथ प्रभावित (1) हासित (2) कमजोर पकड़
8	B.L.	बी०एल०	Both Leg Affected	दोनों पैर प्रभावित
9	B.L.A.	बी०एल०ए०	Both Leg and Both Arm Affected	दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित
10	B.H.	बी०एच०	Stiffback and Hips (cannot sit or stoop)	स्टिफ बैक एण्ड हिप्स (बैठ नहीं सकते)
11	O.A.L.	ओ०ए०एल०	One Arm and One Leg Affected	एक पैर और एक हाथ प्रभावित
12	C.P.	सी०पी०	Cerebral Palsy	प्रमस्तिष्क घात
13	L.C.	एल०सी०	Leprosy Cured	रोगमुक्त कुष्ठ
14	Dw.	डीडब्ल्यू०	Dwarfism	बौनापन
15	A.A.V/A.V.	ए०ए०वी० / ए०वी०	Acid Attack Victims/Acid Victims	एसिड आक्रमण पीड़ित / एसिड पीड़ित
16	A.S.D.	ए०एस०डी०	Autism Spectrum Disorder	स्वपरायणता
17	S.L.D.	एस०एल०डी०	Specific learning Disability	विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता
18	I.D.	आई०डी०	Intellectual Disability	बौद्धिक दिव्यांगता
19	M.Dy./M.W.	एम०डीवाई० / एम०डब्ल्यू०	Muscular Dystrophy/Muscular Weakness and limited physical	पेशीय दुष्पोषण / मांसपेशी की कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति
20	M.I.	एम०आई०	Mental Illness	मानसिक अस्वस्थता
21	M.D.	एम०डी०	Multiple Disabilities	बहु दिव्यांगता
22	Th.	टीएच०	Thalassaemia	थैलेसीमिया
23	Hp.	एचपी०	Hemophilia	हीमोफीलिया